

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्र.-389/13  
संस्थापित दिनांक-30.10.2013  
Filling No-235103001702013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र थाना चंदेरी,  
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

-----अभियोगी।

**बनाम**

हरनाम पिता श्यामा आदिवासी, उम्र-32 वर्ष,  
निवासी ग्राम-शंकरपुर, थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर (म0प्र0)  
-----अभियुक्त

//निर्णय//

(आज दिनांक 07.05.2018 को घोषित)

**01.** अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दिनांक 15.09.2013 को समय रात करीब 08:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में उत्तम आदिवासी के घर के सामने फरियादी/आहत रतनबाई जो कि एक स्त्री है, अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप है।

**02.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियोक्त्री एवं अभियुक्त मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो चुका है।

**03.** अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि घटना दिनांक 15.09.2013 को रात को आठ बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम शंकरपुर में अभियोक्त्री उत्तम आदिवासी के लडके के दस्तोन गयी थी। उत्तम के घर के सामने आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से दुपट्टा खींच लिया था। घटना के समय फूलाबाई व सुशीला उपस्थित थी, जिन्होंने घटना देखी थी। इसके बाद अभियोक्त्री ने अपने घर पर पहुचकर अपने पिता बाबू को घटना के बारे में बताया था। उसके बाद दिनांक 16.09.13 को घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 अभियोक्त्री द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी-2 बनाया गया। प्रकरण की आहत रतनबाई साक्षी फूलाबाई, सुशीलाबाई, बाबू एवं सावित्रीबाई के कथन लेखबद्ध किये गए। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**04.** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग करने का अभिवाक् अंकित किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध घटना के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथनों से कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं हुयी, जिससे अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05.** प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:—

1. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

#### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष:—**

**06.** अभियोजन साक्षी रतनबाई (अ0सा0-01) व सावित्रीबाई (अ0सा0-02) ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध व्यक्त किया है कि आरोपी ने फरियादी के साथ कोई घटना कारित नहीं की, बल्कि किसी व्यक्ति ने अंधेरे में आहत का दुपट्टा खींच लिया था। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षियों ने घटना के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया, जिससे अभियोजन ने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षियों से घटना के संबंध में सूचक प्रश्न पूछे। जिसमें साक्षी रतनबाई व सावित्रीबाई ने घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से दिये गये सुझावों को पूर्णरूप से अस्वीकार किया। साक्षी रतनबाई (अ0सा0-01) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 एवं पुलिस कथन प्रपी-3 में अभियुक्त का नाम न बताया जाना व्यक्त किया तथा अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित करने से भी इंकार किया।

**07.** साक्षी सावित्रीबाई (अ0सा0-02) ने अभियोजन द्वारा दिये गये घटना के संबंध में सभी सुझावों को अस्वीकार किया तथा सूचक प्रश्न में अभियुक्त के द्वारा उसकी लडकी का दुपट्टा खींचे जाने का सुझाव देने पर साक्षी ने उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार किया एवं साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रपी-4 का संपूर्ण ए से ए भाग कथन पुलिस को देने से इंकार किया। अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसकी लडकी रतनबाई के साथ कोई घटना कारित नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण की स्वयं फरियादी/आहत व उसकी मां साक्षी सावित्रीबाई ने घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की स्वयं आहत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-1 व पुलिस कथन प्रपी-3 में भी अभियुक्त का नाम बताया जाने से इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के द्वारा कोई घटना कारित न करना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका दुपट्टा खींचकर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। जिससे अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

**08.** उपरोक्त विवेचना से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हरनाम आदिवासी को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**09.** अभियुक्त का धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

**10.** अभियुक्त के धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत बंधपत्र को छोड़कर जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)